केस ऑफिसर स्कीम, हार्डकोर अपराधियों का चयन

Content

Time: 90 min

1. स्थाई आदेश 06/2006, क्रमांक 03 दिनांक 19.08.2006
2. हार्डकोर अपराधी के संबंध में कार्य योजना, क्रमांक 463 दिनांक 25.05.2017
3. हार्डकोर विचाराधीन बदियों/गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय में ले जाते समय सुरक्षा के संबंध में, क्रमांक 910 दिनांक 28.07.2016

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–ए–4(7)पुलिस / प्रशासन / 2005–06 / 3 दिनांकः– 19 / 08 / 2006

स्थाई आदेश – 6 / 2006

प्रायः आदतन एवं पेशेवर अपराधियों के भय के कारण गवाह उनके विरूद्ध साक्ष्य देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते जिससे उनके विरूद्ध दर्ज बहुत कम अपराधों में सजा हो पाती है। इससे आपराधिक स्थिति पर विपरित प्रभाव पड़ता है तथा जनता में असुरक्षा एवं भय की भावना घर कर लेती है। साथ ही पुलिस की कार्य कुशलता पर भी प्रश्न चिन्ह लगने लगता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय द्वारा लगभग दो वर्ष पूर्व केस ऑफिसर योजना आरम्भ की गई थी। यह योजना अपराधियों की सक्रिय गतिविधियों पर अंकुश लगाने, संगठित एवं गम्भीर अपराधों पर काबू पाने तथा जनता में ऐसे अपराधों एवं अपराधियों से असुरक्षा एवं भय के वातावरण को दूर करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के सार्थक परिणामों के दृष्टिगत भविष्य में इसके प्रभावी निष्पादन हेतु निम्नांकित निर्देश दिए जाते हैः .

केस ऑफिसर योजनाः

केस ऑफिसर योजना के अन्तर्गत सनसनीखेज एवं गम्भीर अपराधों तथा पेशेवर एवं आदतन अपराधियों के विरूद्ध अन्वीक्षाधीन प्रकरणों को चयनित कर उन प्रकरणों में केस ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। केस ऑफिसर का कार्य प्रकरण की अन्वीक्षा के दौरान केस की प्रगति पर निकट निगरानी रखना, अभियोजक एवं गवाहों से निकट सम्पर्क रखना तथा यह सुनिश्चित करना है कि अदालत में पेश होने वाले साक्ष्य समय पर एवं बिना व्यवधान के पेश हों। इसके अतिरिक्त केस ऑफिसर स्वयं द्वारा एवं अभियोजक के मार्फत अदालत से सम्पर्क कर प्रकरण में शीघ्र निस्तारण हेतु जल्दी पेशियाँ करवाने का हर सम्भव प्रयास करेगा। माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान द्वारा भी समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को केस ऑफिसर योजना के प्रकरणों को प्राथमिकता देने हेतु निर्देश पत्र कमांक Gen/ XV /07/05/669 दिनांक 10.4.06 द्वारा जारी कर दिये गये हैं।

योजना के मुख्य बिन्दुः

क. **केस का चयनः–** सही केस का चयन इस योजना को सुदृढ़ आधार प्रदान करता है अतः केस के चयन के समय निम्न बिन्दुओं पर गौर किया जावेः–

1. केस का चयन करते समय सर्व प्रथम ऐसे अपराधियों को चिन्हित करना चाहिए जिनसे आम जनता मे भय व्याप्त हो तथा जिनसे लोग अपनी शारीरिक एवं सम्पति की सुरक्षा बाबत आशंकित हों।
2. ऐसे व्यक्ति जो आदतन अपराधी हो तथा संगठित आपराधिक गिरोह के सरगना / सदस्य हों अथवा ऐसे गिरोह तैयार कर रहे हों।
3. अपराधी का चयन करने के पश्चात् उसके विरूद्ध अदालत में विचाराधीन प्रकरणों की समीक्षा की जानी चाहिए तथा ऐसे एक या दो प्रकरण जिनमें साक्ष्य सबसे सुदृढ़ हों और सजा होने की संभावना सर्वाधिक हो, का चयन कर उन पर एक केस ऑफिसर नियुक्त करना चाहिए। आदतन अपराधी के विरूद्ध दो मामले लेने लाभदायक रहते हैं ताकि अगर एक में बरी हो अथवा पी.ओ. एक्ट का फायदा मिले तो दूसरे में सजा हो सकती है।
4. सामूहिक बलात्कार, बच्चियों के साथ बलात्कार तथा बलात्कार के ऐसे प्रकरण जो जनता में चर्चा का विषय रहे हों तथा जिनसे जनमानस उद्वेलित हुआ हो, को इस योजना के अन्तर्गत लिया जावे।

5. गो वध से सम्बन्धित प्रकरणों को भी केस ऑफिसर योजना में सम्मिलित किया जावे।

प्रकरणों का चयन एक निरन्तर प्रकिया रहेगी तथा जैसे–जैसे न्यायालय से प्रकरण निर्णित होते हैं, नये प्रकरण चयनित कर योजना में सम्मिलित किए जाऐंगे।

वृत्ताधिकारी / थानाधिकारी सनसनीखेज एवं गम्भीर अपराधों का अनुसंधान के समय ही इस योजना के तहत चयन कर लेगें तथा विशेष ध्यान देकर साक्ष्य एकत्रित करवायेंगे व सुनिश्चित करेंगे कि अनुसंधान में कोई कमजोरी रह न जावे।

जिन प्रकरणों में अभियुक्त का चालान 299 सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत किया गया है उनको इस योजना के अन्तर्गत रखने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इनमें अभियुक्त की अदम मौजूदगी में न्यायालय में कोई कार्यवाही होने की सम्भावना नहीं रहती है।

केस ऑफिसर के कर्तव्य:

1. प्रत्येक केस में केस ऑफिसर मनोनीत होने के पश्चात् उक्त केस का भलीभाति अध्ययन करेगा तथा उस केस पर एक पत्रावली संधारित करेगा जिसमे वह केस से सम्बन्धित अदालत की

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण लिखेगा, अदालत की ऑर्डरशीट की प्रतियां रखेगा, न्यायालय के आदेशों की पालना में उसके द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा लिखेगा व अन्य महत्वपूर्ण कार्यवाही का उल्लेख करेगा।

2. केस ऑफिसर जिस अपराधी के केस पर नियुक्त हो उस अपराधी पर एक डोजियर भी संधारित करेगा। इस डोजियर में अपराधी से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचनाऐं होंगी:

(अ) नाम, वल्दियत, पता, टेलीफोन नम्बर
(ब) रिश्तेदारों, सहयोगियों, जमानतदारों, मित्रों के नाम, पते, पेशा, टेलीफोन नम्बर आदि
(स) अपराधी के सम्भावित शरणस्थल व छुपने के स्थान
(द) पूर्ण आपराधिक रिकॉर्ड मय प्र.सू.रि. व चार्जशीट की नकल
(य) अपराधी का तरीका वारदात व अपराध करने का क्षेत्र
(र) अंगुल चिन्ह व फोटोग्राफ

3. केस ऑफिसर न्यायालय द्वारा जारी गवाहो के सम्मन / वारंट समय पर तामील होकर न्यायालय में पहुंचना तथा गवाहों को समय पर न्यायालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेगा।

4. केस ऑफिसर प्रत्येक पेशी पर अदालत में उपस्थित रहेगा तथा अभियोजन की कार्यवाही में आवश्यकतानुसार सहयोग करेगा।

5. केस ऑफिसर, लोक अभियोजक / सहायक लोक अभियोजक से सम्पर्क रखकर सुनिश्चित करेगा कि प्रकरण की पैरवी सही ढंग से हो रही है तथा साक्ष्य न्यायालय में सही परिपेक्ष्य में प्रस्तुत की जा रही हैं।

6. केस ऑफिसर लोक अभियोजक / सहायक लोक अभियोजक को गवाह की यादाश्त ताजा करने में मदद करेगा।

7. केस ऑफिसर न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले प्रादर्श समय पर एवं सही अवस्था में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा।

8. केस ऑफिसर जिन प्रकरणो में एफ.एस.एल, एफ.पी.बी आदि की रिपोर्ट प्राप्त होने में विलम्ब हो रहा हो, उन्हें पुलिस अधीक्षक के

ध्यान में लाकर रिपोर्ट को प्राथमिकता के आधार पर मंगवाने की कार्यवाही करेगा।

9. केस आफिसर प्रकरण के समस्त गवाहान से सम्पर्क रखेगा तथा यह भी देखेगा कि उनको अपराधियों द्वारा प्रभावित नहीं किया जावे तथा वे अपराधियों के भय से ग्रसित ना हों। अगर केस ऑफिसर को पता लगे अथवा महसूस हो कि गवाह डरे हुए हैं तो उनकी सुरक्षा के पर्याप्त कदम उठायेगा। अगर अपराधियों द्वारा गवाहों को धमकाने / डराने की बात सामने आए तथा उनके प्रभावित होने की संभावना हो तो उनके विरूद्ध अदालत में रिपोर्ट पेश कर आवश्यकतानुसार कानूनी कार्यवाही भी सुनिश्चित करेगा व जमानत खारिज कराने की कार्यवाही करायेंगे।

10. केस ऑफिसर अपराधी की आपतिजनक गतिविधियां, जिनकी सूचना उसको प्राप्त हुई हो, परन्तु किसी के द्वारा उन घटनाओं के बाबत रिपोर्ट नहीं की गई हो, की रिपोर्ट सम्बन्धित थाने के रोजनामचा आम में दर्ज करायेगा तथा आवश्यकतानुसार दण्ड प्रकिया संहिता, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आदि के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।

11. केस ऑफिसर जब भी अभियुक्त की जमानत हेतु अदालत में आवेदन प्रस्तुत हो तो लोक अभियोजक / सहायक लोक अभियोजक के माध्यम से अथवा केस ऑफिसर स्वयं, अपराधी का पूर्ण आपराधिक रिकॉर्ड एवं गतिविधियों का ब्यौरा प्रस्तुत कर उसकी जमानत का सशक्त विरोध करेगा।

12. केस ऑफिसर सम्बन्धित केस में स्वयं व लोक अभियोजक / सहायक लोक अभियोजक के माध्यम से न्यायालय को निवेदन कर प्रकरण में दिन प्रतिदिन की पेशी साक्ष्य हेतु निर्धारित करवायेगा ताकि प्रकरण का फैसला शीघ्रातिशीघ्र हो सके।

13. केस ऑफिसर यह देखेगा कि लोक अभियोजक द्वारा सजा के बिन्दु पर बहस के समय ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाने हेतु पुरजोर बहस की जावे तथा अपने तर्कों के समर्थन में अपराधी का आपराधिक रिकॉर्ड न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

14. केस ऑफिसर उपयुक्त प्रकरण में धारा 75 भा.द.सं. व 401 भा.द. सं. के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करवाएगा।

पर्यवेक्षण अधिकारियों के दायित्वः

थानाधिकारी के दायित्वः– थानाधिकारी प्रथम स्तर पर इस योजना के तहत लिए जाने वाले प्रकरणों का चयन कर उच्चाधिकारियों को प्रेषित करेंगे। वे प्रत्येक पेशी के पश्चात् केस ऑफिसर के साथ प्रकरण की समीक्षा कर आगे की जाने वाली कार्यवाही निर्धारित करेंगे। थानाधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट / न्यायाधीश व लोक अभियोजक से भी सम्पर्क रखेंगे तथा आवश्यकतानुसार स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर केस ऑफिसर की मदद करेंगे। थानाधिकारी केस ऑफिसर को अपने दायित्वों के निष्पादन में पूरी सहायता करेंगे।

वृत्ताधिकारी के दायित्वः– वृत्ताधिकारी की इस योजना को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। उचित प्रकरणो का इस योजना के अन्तर्गत चयन हो, यह उनकी जिम्मेदारी है। वृत्ताधिकारी तारीख पेशी के दो दिन पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि गवाहान के सम्मन / वारण्ट तामील हो चुके हैं तथा अदालत को सूचित किया जा चुका है साथ ही यह भी देखेंगे कि साक्ष्य हेतु जाने से पूर्व गवाहान की यादाश्त ताजा करवा दी गई है तथा गवाहान किसी भय से ग्रसित तो नहीं है। जब भी वृत्ताधिकारी थाने पर जाऐं तो थानाधिकारी व केस ऑफिसर के साथ प्रकरणों की समीक्षा करें तथा उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करें। आवश्यकतानुसार वे सम्बन्धित मजिस्ट्रेट से सम्पर्क कर, अगर प्रकरण की अन्वीक्षा में कोई बाधा आ रही हो तो उनका निराकरण करवानें की कार्यवाही भी करेंगे।

पुलिस अधीक्षक / अति. पुलिस अधीक्षक के दायित्व :– इस योजना की सफलता पुलिस अधीक्षक / अति. पुलिस अधीक्षक की व्यक्तिगत रूचि पर निर्भर करती है। उनकी प्रकरण के चयन एवं पर्यवेक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका है। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि केस ऑफिसर योजना के तहत जिन प्रकरणों का चयन किया जाता है वह उस क्षेत्र की आपराधिक गतिविधियों को मध्यनजर रखते हुए उचित हों। पुलिस अधीक्षक / अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार अपने जिले के समस्त केस ऑफिसर योजना के प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा केस ऑफिसर को उचित मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। साथ ही अगर उन्हें किसी प्रकार के सामन्वय का अभाव नजर आता हो तो जिला कलेक्टर, सत्र न्यायाधीश से सम्पर्क कर समस्या का निराकरण करवायेंगे।

पुलिस अधीक्षक यह भी देखेंगे कि सामान्यतः एक केस ऑफिसर को एक अथवा दो प्रकरणों में ही केस ऑफिसर नियुक्त किया जावे।

केस ऑफिसर योजना के तहत प्रत्येक मामले जिसमें मुलजिम को बरी किया जाता है, उसका परीक्षण करवाकर पुलिस अधीक्षक / अति. पुलिस अधीक्षक आवश्यक सुधारात्मक कदम उठायेंगे।

अगर कोई केस ऑफिसर अपने दायित्वों के निर्वहन में शिथिल पाया जाता है तो पुलिस अधीक्षक उसके विरूद्ध उचित विभागीय कार्यवाही करेंगे।

(ए.एस. गिल)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक राजस्थान।
2. समस्त महानिरीक्षक पुलिस राजस्थान मय आर.ए.सी. / रेल्वे।
3. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य, आर.पी.टी.सी., जोधपुर।
5. समस्त पुलिस अधीक्षक राजस्थान मय रेल्वे अजमेर / जोधपुर /सीआईडी(एसएसबी / सुरक्षा) ।
6. समस्त कमाण्डेन्ट एम.बी.सी., पी.टी.एस., आरएसी बटालियन मय आई.आर बटालियन।
7. पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय गण्डार, पु. मु. राज., जयपुर।

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

Be kept in Policy file. Revised list be put up pl.

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांकः–व–15( )पुलिस–प्रशासन/2015/463 दिनांकः–25.05.2017

	ATS	SOG
ADGP 3	✓	✓
DIGP		
Letter No. & Date	3094 29/5/17	

स्थाई आदेश संख्याः– 06/2017

विषयः–हार्डकोर अपराधी के सम्बन्ध में कार्ययोजना।

पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर द्वारा हार्डकोर अपराधी को कारागार से न्यायालय अथवा एक जिले से दूसरे जिले में पेशी पर उपस्थित किये जाने के दौरान अपनाई जानेवाली प्रकिया के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्देश प्रदान किये गये है। उक्त निर्देशों/आदेशों के कम में निम्नलिखित अनुसार मार्ग–निर्देशिका के रुप में आदेश जारी किये जाते है, जिनकी पालना कराया जाना सुनिश्चित करें:–

❖ वह अपराधी जो बार–बार अपराध करता हो तथा आपराधिक कार्य ही उसका व्यवसाय एंव जीविका हो तथा जिसके सुधरने की संभावना नही है, ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद आसानी से उनकी जमानत नही हो पाये तथा अतिशीध उनके विरूद्व मुकदमो की ट्रायल पूर्ण करवा कर उनको सजा दिलवाकर जेल मे ही रखा जा सके, इसके लिए राजस्थान पुलिस द्वारा वर्ष 2004 में एक कार्य योजना तैयार की गई थी। इस कार्य योजनान्तर्गत ऐसे अपराधियों को बिना किसी विशेष परिभाषा के उपरोक्त–वर्णित मापदण्डो के आधार" हार्डकोर अपराधी" कहा गया है।

हार्ड कोर अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरूद्व प्रभावी कानूनी कार्यवाही जिसमें सी.आर.पी.सी. के प्रावधान एवं विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही एवं निरोधात्मक गिरफ्तारी भी शामिल है, सुनिश्चित किया जाना हार्ड कोर अपराधियों के विरूद्व कार्ययोजना का मुख्य उदेश्य है।

❖ हार्ड कोर अपराधियों के विरूद्व कार्ययोजना मे इनकी गिरफ्तारी के तुरन्त बाद जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा रजिस्टर मे इनका थानेवार इन्द्राज कर थानाधिकारियों एवं वृत्ताधिकारियों को निर्देशित कर इन अपराधियों के विरूद्व प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कर इनकी जमानत नही होने देने तथा इनके विरूद्व लम्बित प्रकरणों का शीध्र निस्तारण कर इन्हे सजा दिलवाने के लिए " केस ऑफिसर स्कीम" के अन्तर्गत लिया जाना आवश्यक कदम है। न्यायालय में प्रभावी पैरवी के लिए हार्डकोर अपराधी का आपराधिक रिकार्ड प्रस्तुत किया जाना, सम्मन वांरन्ट तामील एवं समय पर न्यायालय में गवाहो के बयान करवाया जाना तथा गवाहो को डरा–धमका कर पक्षद्रोही होने से रोकना हार्डकोर अपराधियों के विरूद्व कार्ययोजना एवं "केस ऑफिसर स्कीम " का प्रमुख

Special Operation Group, Raj.	
I.G.P.	
S.P.	
Receipt No. Date	1354/30-5-17
Section	[illegible]

Addl SP Adm

उदेश्य है। जिला पुलिस अधीक्षक, द्वारा व्यक्तिगत निगरानी एंव वृत्ताधिकारी द्वारा व्यक्तिगत पर्यवेक्षण इस योजना के प्रमुख प्रावधान है, जो इसकी सफलता के लिए आवश्यक है। ऐसा माना गया है कि हार्डकोर अपराधियों को लम्बे समय तक जेल मे निरूद्व रखने से संम्बधित थाना क्षैत्र एवं जिले की आपराधिक स्थिति मे बहुत बड़ा सुधार आयेगा। गत वर्षो मे ऐसे आपराधियों के विरूद्व की गई प्रभावी कार्यवाहियो के उपरान्त अपराधों मे हुई रोकथाम इस अवधारणा को प्रमाणित करती है।

❖ इस कार्ययोजना का शुरूआती उदेश्य, उन्ही अपराधियों को हार्डकोर अपराधी चिन्हित कर उनके विरूद्व प्रभावी कार्यवाही करना था जिनका समाज में भय था तथा वे होने वाले अधिकाश जघन्य अपराधों के लिए जिम्मेदार थे। उनके विरूद्व प्रभावी कार्यवाही से आपराधिक स्थिति में अत्यधिक सुधार सम्भव हो सकता था। ऐसे हार्डकोर अपराधी अनगिनत एवं अत्यधिक नही हो कर हर जिले मे ऐसे गिने चुने अपराधी थे जिनके विरूद्व जिला पुलिस के सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुऐ प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कर उनको लम्बे समय तक जेल मे निरूद्व रख कर अपराधों पर नियंत्रण करना था।

❖ इस कार्ययोजना की कियान्विती के दौरान न्यायालय मे तारीख पेशी भुगताने तथा एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के दौरान हार्डकोर अपराधियों को विरोधी गेंग के अपराधियों से जान का खतरा होने तथा/अथवा इनके पुलिस कस्टेडी से फरार होने के सम्भावित खतरों से निपटने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर हार्डकोर अपराधियों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली चालानी गार्ड की नफरी, दक्षता, वाहन, हथियार, अपनाई जाने वाली मानक कार्य प्रणाली (SOP) एवं विभिन्न जिलों के पुलिस अधिकारियों के मध्य समन्वय से संबधित आदेश जारी किये गये है। यह सभी आदेश/निर्देश इन सभी हार्डकोर अपराधियों की राजस्थान राज्य से बाहर की तारीख पेशी से संम्बधित यात्रा के सम्बन्ध में भी लागू होते है जिनकी वजह से इनको तारीख पेशी भुगताने के लिए उपलब्ध कराये जाने वाले संसाधन जैसे पुलिस कर्मी, वाहन, हथियार तथा समन्वय हेतु जिला पुलिस के अधिकारियों का काफी समय इस पर व्यय होता है।

❖ इस कार्ययोजना की कियान्विती के कम मे जारी विभिन्न लिखित आदेश पर्यवेक्षण एवं निगरानी के लिए पारित किये गये मोखिक निर्देशो एंव जिला पुलिस के उच्चधिकारियों के अति उत्साह के कारण हार्डकोर अपराधियों के चयन के माप-दण्डो की उदारतापूर्वक व्याख्या/विश्लेषण के कारण कालान्तर मे इनकी संख्या मे अत्यधिक बढोतरी हो गई है। इसी के साथ हार्डकोर अपराधियों की विभिन्न श्रेणिया, जैसे थाना स्तर, जिला एवं रेंज स्तर, वर्तमान समय मे प्रचलित है। यहा यह स्पष्ट किया जाना वॉछित है कि हार्डकोर अपराधियों के विरूद्व कार्ययोजना से संबधित जारी आदेश/निर्देश सभी हार्डकोर अपराधियों के लिए लागू है तथा विभिन्न